न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—245/2018/75 (2018/00245)

1. बाबूलाल पुत्र छोगा, जाति बलाई, निवासी केरियाखुर्द, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. पांचूराम पुत्र श्योराम, जाति जाट, नि0 केरियाखुर्द, पटवार क्षैत्र उरसेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. शंकरलाल पुत्र लालू रैगर, निवासी केरियाखुर्द रहलाना, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. गणपतसिंह दत्तक पुत्र रामप्रताप दान, जाति चारण, निवासी केरियाखुर्द, हरसौली, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
4. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, सांभर, तहसील सांभर, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश (चतुर्थ), जयपुर दिनांक 28.2.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 24/2012.

उपस्थितः—

1. श्री बाबूलाल साहू, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एस0राजावत एवं श्री अनिल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री हेमसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5 .

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 28.2.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नबर 450, 451,

452 गत नंबर 282 है जिनका कि किसी भी प्रकार से आवंटन प्रार्थीयान के पक्ष में तत्सयम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है । अप्रार्थी बी0एन0गौड़ के पक्ष में नामांतकरण संख्या 52 दिनांक 28.6.1976 किस आधार पर एवं किस आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज किया गया है, कतई साबित एवं स्पष्ट नहीं है । उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक कार्यालय से आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये आवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से ऐसी कोई आवंटन प्रोसिडिंग नहीं होना अवगत कराते हुए आवेदन लौटा दिया । ऐसी स्थिति में नुमाईशी दिखावटी एवं फर्जी आवंटन आदेश की पालना मे खातेदारी नामांतकरण नहीं खोला जा सकता है । प्रार्थी शिकायतकर्ता का विगत 60 वर्षो से इस भूमि पर कब्जा काश्त है जिन्हें कभी भी बेदखल नहीं किया गया है । पक्के मकानात सहित निवास है । उपखण्ड अधिकारी, सांभर द्वारा पारित निर्णय बिना आवंटन आदेश किया गया है जो अवैध है । कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है । उपखण्ड अधिकारी की उक्त कार्यवाही एब इनिशियों वोइड है । जानकारी की तिथि से प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है । प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः यह कपटपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है । अन्त में आवंटन नियम 1970 की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त करने एवं इस संबंध में दर्ज नामांतकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सांभर ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आदेश दिनांक 28.8.2016 द्वारा स्वीकार कर छोगा के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में सहायक कलक्टर, दूदू के यहां प्रकरण संख्या 21/1994 छोगा बनाम तहसीलदार, दूदू में दिनांक 9.12.1994 के द्वारा आवंटन नामांतकरण संख्या 55 दिनांक 9.9.1997 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा गया था तथा खसरा नंबर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 251/3 रकबा 4 बीघा ग्राम केरियाखुर्द तहसील दूदू हेतु वाद डिक्री किया गया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने डिक्री के माध्यम से प्रदत्त खातेदारी को प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने छोगा पिता अपीलांट बाबूलाल के आवंटन को निरसत करने का काई भी विधिसम्मत् आधार निर्णय में अंकित नहीं किया है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट व उसके पिता के वर्ष 1976 के आवंटन को लगभग 40 वर्षो बाद अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत चुनौती दी गई थी जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार ही 10 वर्षो में प्राप्त हो जाते है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत पूर्णतया मियाद बाहर था जिसे अवैध, शून्य एवं क्षैत्राधिकार विहीन रूप से स्वीकार करने में अधी0न्याया0 ने गंभीर भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार की तथाकथित एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट का कब्जा नहीं मानने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि की है जबकि कब्जे की रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस

एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए कब्जा रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने भी इस एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार मानकर विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा सन् 1976 से कब्जा काश्त संबंधी सभी शर्तो का आवंटन नियम 1970 के तहत पालन किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं किया जाना अंकित कर आवंटन आदेश निरस्त किया है। आवंटी द्वारा किन आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है इस संबंध मे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि बरवक्त आवंटन भूमि उपलब्ध नहीं होना अपीलांट का दोष नहीं है बल्कि आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी को ही सरकारी सिवायचक भूमि में से खाली भूमि का ही अपीलांट को आवंटन किया गया था जिसे अनुचित रूप से निरस्त करने में अधी0न्याया0 ने गंभीर भूल की है । अधी0न्याया0 ने लगभग 40–42 वर्षो बाद भारी मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन आदेश निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 बाबत् खसरा नंबर 282 व खसरा नंबर 251 यथावत् रखा जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो ठेकेदार के साथ ईंट भट्टा पर काम करने के लिये पंजाब के चण्डीगढ़ जिले में दिनांक 20.2.2018 को चला गया था । लगभग 6 माह बाद अपीलांट बीमार होने पर अपने गावं लौटा था । अपीलांट के अधिवक्ता ने भी अपीलांट को तारीख पेशी पर नहीं आने की हिदायत दे रखी थी जिससे अपीलांट पूर्णतया आश्वस्त होकर पंजाब में मजदूरी कर रहा था । दिनांक 2.8.2018 को अपीलांट चलने फिरने की स्थिति में होने पर अपने अधिवक्ता से मिला तो उन्होंने निर्णय दिनांक 20.2.2018 की सर्वप्रथम जानकारी हुई । इससे पूर्व अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को निर्णय के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी जिससे निर्णय की दिनांक को अपीलांट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से विवादित भूमियों की मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता छोगा ने प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर तथा अगले वर्ष 75 प्रतिशत भूमि पर तथा तीसरे वर्ष में पूर्ण भूमि पर काश्त नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि आवंटी आवंटित भूमि पर लगातार काबिज काश्त नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है । यह भी अंकित किया है कि आवंटित खसरा नंबर में भूमि रिकार्ड नहीं थी इसके बावजूद आवंटन किया गया है जिससे उक्त आवंटन प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । दस्तावेजी साक्ष्यों से आवंटी/अपीलांट के पिता का किया गया आवंटन केवल मात्र कागजी पाये जाने से अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्त किया है । विद्वान

अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी किसी भी प्रकरण का तकनीकी आधार पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 इस आधार पर खारिज किया है कि आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना भी नहीं की गई है । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 28.6.1976 के आवंटन आदेश को शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2012 में लगभग 36 वर्षो के बाद चुनौती दी गई है । अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आवंटी का आवंटन निरस्त किया है कि आवंटित भूमि पर अपीलांट/आवंटी का कब्जा काश्त नही है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि एवं द्वितीय वर्ष में संपूर्ण भूमि काश्त नहीं की गई है । इस कारण शर्तो की अवहेलना होने से आवंटी का आवंटन निरस्त किया गया है । हाजा न्यायालय अधी0न्याया0 द्वारा दिये गये इस निर्णय से सहमत नहीं है क्योंकि भू–राजस्व अधि0 (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ.6 (19) राजस्व/ग्रुप–6/92/31 दिनांक 23.9.1999 द्वारा उक्त शर्त प्रतिस्थापित कर दी गई एवं प्रतिस्थापित शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा । इस प्रकार उक्त प्रतिस्थापित शर्त के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में नियम 3 के तहत लगायी गई शर्तो का कोई महत्व नहीं रह जाता है । अधी0न्याया0 द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । आवंटन आदेश जब तक आवंटी द्वारा छल अथवा धोखे से प्राप्त नहीं किया गया हो, निरस्त करना विधिसम्मत् नहीं होता है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से आवंटी द्वारा छल–कपट से आवंटन करवाया जाना प्रमाणित नहीं होता है । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में 2016 (1) आर0आर0टी0 पेज 718, 82, 340, 559 एवं 358 प्रस्तुत की गई ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण संख्या 24/2012 में पारित निर्णय में अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र लालू रेगर, निवासी केरिया बुजुर्गान रहलाना के विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 28.2.2018 को उनकी हद तक यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है तथा अपीलांट बाबूलाल पुत्र छोगा की हद तक पारित निर्णय अपास्त योग्य होने से प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषितयोग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है की शंकरलाल पुत्र लालू रेगर, निवासी केरिया बुजुर्गान रहलाना के संबंध में अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश (चतुर्थ), जयपुर द्वारा प्रकरण

संख्या 24/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.2.2018 यथावत् रखा जाता है एवं अपीलांट बाबूलाल पुत्र छोगा की हद तक निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट को आवंटित भूमि के संबंध में आवंटन प्रावधानों की पात्रता एवं सद्भाविकता के संबंध में समुचित जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक **30.9.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर